जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति

292. (ख) (1) **समिति का गठन**- बिहार विधान-सभा की एक जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति होगी, जिसमें सभापति सहित समिति के सामान्य: उन्नीस सदस्य होंगे जो अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा द्वारा मनोनीत होंगे परन्तु राज्य सरकार का कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होगा या रह सकेगा।

(2) **समिति की अवधि**- समिति का कार्यकाल सामान्यत: एक वर्ष के लिए या नयी समिति की गठन के पूर्व तक रहेगा

(3) **समिति के कृत्य**- (प) जिला परिषद् एवं पंचायती राज संबंधी राज्य सरकार के कार्यों की तथा जिला परिषद् एवं पंचायती राज संबंधी विधि एवं नियमों की समीक्षा तथा अनुशंसा:

(ii) जिला परिषद् के अन्तर्गत आनेवाले जिलों में चिकित्सा, शिक्षा, सफाई पर्यावरण, यातायात आदि कार्यों की समीक्षा तथा तत्संबंधी सुझाव;

(iii) समिति का यह भी कार्य होगा कि ग्रामों में कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का तथा पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें सुधार का राज्य सरकार के कार्यों की समीक्षा एवं सुधार की अनुसंशा करें;

(iv) समिति जिला परिषद् एवं पंचायती राज से संबंधित ऐसे विषयों की जांच करेगी तथा अपना प्रतिवेदन देगी जो सभा या अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपा जाय।

(4) बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अन्तर्गत विधान-सभा की समिति के कार्य संचालन संबंधी सामान्य नियम जिनका उपबंध इनका समितियों की नियमावली में नहीं है, लागू होंगे।